

## DISH TV NOT TO SELL TO AIRTEL

Dish TV has been seeing a lot of clash with Yes Bank and there were rumours of some discussions with Airtel for acquisition. This has been denied by Dish TV and it said that its promoters are not in talks with telecom major Bharti Airtel for stake sale.

In a regulatory filing, Dish TV said that it is not aware of any such transaction. "Dish TV India would like to state that there is no information available with the company which is required to be reported under extant SEBI Regulation (Regulation 30), which may have bearing on the stock price of the company. Further, we would also state that the company is not aware of the transaction which has been reported in the above-mentioned news report."

Bharti Airtel said that it does not comment on media speculation/ reports while noting that it evaluates various opportunities of restructurings, alliances, and acquisitions."

## MEDIA COUNCIL TO BE SET UP

The Standing Committee on Communications and Information Technology headed by Congress MP Shashi Tharoor has recommended establishing a Media Council which will cover print, electronic and digital media. It also stated that the self-regulatory body Press Council of India (PCI), which only has jurisdiction over print media, needs to be restructured. In its report titled 'Ethical Standards in Media Coverage', the committee said that the Media Council must be equipped with statutory powers to enforce its orders where required. It is pertinent to note that the PCI has made recommendations to the government to enact single legislation which will cover all forms of media, in line with the Press Council Act, 1978.

"The committee are of the firm opinion that PCI needs restructuring to cover all types of media and therefore desire that the Ministry should explore the possibility of establishing a wider Media Council encompassing not just the print media but the electronic and digital media as well, and equip it with statutory powers to enforce its orders where required," the committee said in its 73-page report.

## डिश टीवी नहीं बिकेगा एयरटेल के लिए

डिश टीवी के यस बैंक के साथ काफी टकराव देखा जा रहा है और अधिग्रहण के लिए एयरटेल के साथ कुछ चर्चाओं की अफवाह भी थी। डिश टीवी ने इसका खंडन किया है और उसने कहा है कि उसके प्रमोटर हिस्सेदारी विक्री के लिए दूरसंचार प्रमुख भारती एयरटेल के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं।



एक नियामक फाइलिंग में डिश टीवी ने कहा है कि उसे इस तरह के किसी भी लेनदेन की जानकारी नहीं है। 'डिश टीवी इंडिया यह बताना चाहेगा कि कंपनी के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसे मौजूदा सेवा विनियमन (विनियम 30) के तहत रिपोर्ट करने की आवश्यकता है जिसका कंपनी के स्टॉक मूल्य पर असर पर सकता है। इसके अलावा हम यह भी बतायेंगे कि कंपनी को उस लेन देन की कोई जानकारी नहीं है जो उपर्युक्त समाचार रिपोर्ट में बताया गया है।'

भारती एयरटेल ने कहा है कि वह मीडिया की अटकलों/रिपोर्टों पर टिप्पणी नहीं करती है, जबकि यह ध्यान में रखते हुए कि यह पुनर्गठन, गठबंधन और अधिग्रहण के विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करती है।

## आने वाली है मीडिया काउंसिल

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने एक मीडिया परिषद की स्थापना की सिफारिश की है जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को कवर करेगी। इसने यह भी कहा कि स्व-नियामक निकाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), जिसका केवल प्रिंट मीडिया पर अधिकार क्षेत्र है, को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। समिति ने 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मीडिया परिषद को अपने आदेशों को लागू करने के लिए जहां आवश्यक हो, वैधानिक शक्तियों से लैस होना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि पीसीआई ने प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अनुरूप सभी प्रकार के मीडिया को कवर करने वाला एकल कानून बनाने के लिए सरकार को सिफारिश की है।

'समिति का यह दृढ़ मत है कि पीसीआई को सभी प्रकार के मीडिया को कवर करने के लिए पुनर्गठन की आवश्यकता है और इसलिए यह चाहती है कि मंत्रालय को न केवल प्रिंट मीडिया वल्कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को भी शामिल करते हुए एक व्यापक मीडिया परिषद की स्थापना की संभावना तलाशनी चाहिए और समिति ने अपनी 73 पृष्ठों की रिपोर्ट में कहा है कि जहां आवश्यक हो अपने आदेश को करने के लिए इसे वैधानिक शक्तियों से लैस करे।

## NEWS RATING TO BE SPRUCED UP

News rating is to be spruced up and the Govt has sought comments from TV broadcasting bodies on the recommendations submitted by the committee to review guidelines for TV rating agencies

I&B minister Anurag Thakur has said that the ministry wants to implement the recommendations of the four-member committee headed by Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati following which TV news ratings reporting will resume.

"The ratings of general entertainment channels are still getting reported. As far as news channel ratings are concerned, everyone knows what has happened. BARC has seen a change in CEO not once but twice. We had formed a committee to review TV rating guidelines. The industry bodies had to send their views on the committee's recommendations by 30th November which we have received. Our goal is to implement the recommendations of the TV rating committee as soon as possible so that the reporting of news ratings can restart which will bring relief to news channels," said Thakur

## ANALOG TRANSMITTERS ARE OUT

Prasar Bharati has decided to phase out obsolete Analog Terrestrial TV (ATT) transmitters. 1000 Doordarshan ATTs have been closed in phased manner, barring around 50 ATTs in strategic locations in the country.

"In view of emerging trends in broadcasting, and availability of DD Free Dish, a free-to-air, Direct to Home (DTH) Service of Prasar Bharati in the country (carrying more than 150 TV channels including 51 educational channels, without any monthly subscription), the Analog Terrestrial TV (ATT) Transmitters carrying only one channel have lost their relevance," Thakur informed the Lok Sabha.

"The signals of DD Free Dish can be received in the country with the help of small sized low cost dish receiver units except in Andaman & Nicobar Island. According to market estimates, there are more than 40

## समाचार रेटिंग में सुधार की जायेगी

समाचार रेटिंग में सुधार किया जाना है और सरकार ने टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा-निर्देश की समीक्षा के लिए समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर टीवी प्रसारण निकायों से टिप्पणी मांगी है।

आईएंडवी मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मंत्रालय, प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहता है जिसके बाद टीवी समाचार रेटिंग रिपोर्टिंग फिर से शुरू होगी।

श्री ठाकुर ने बताया कि 'सामान्य मनोरंजन चैनलों की रेटिंग अभी भी रिपोर्ट की जा रही है। जहां तक न्यूज चैनलों की रेटिंग का सवाल है तो हर कोई जानता है कि क्या हुआ है। वीएआरसी ने सीईओ में एकवार नहीं बल्कि दो बार बदलाव देखा है। हमने टीवी रेटिंग दिशा-

निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति बनायी थी। उद्योग निकायों को 30 नवंबर तक समिति की सिफारिशों पर अपने विचार भेजने थे जो हमें प्राप्त हुए हैं। हमारा लक्ष्य टीवी रेटिंग समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करना है ताकि समाचार रेटिंग की रिपोर्टिंग फिर से शुरू हो सके जिससे समाचार चैनलों को राहत मिले।'

## हटाये जा रहे हैं एनालॉग ट्रांसमीटर

प्रसार भारती ने अप्रचलित एनालॉग टेरिस्ट्रियल टीवी (एटीटी) ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का फैसला किया है। देश में रणनीतिक स्थानों में लगभग 50 एटीटी को छोड़कर 1000 दूरदर्शन एटीटी को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है।

श्री ठाकुर ने लोकसभा को सूचित किया कि 'प्रसारण में उभरते रूझानों और डीडी फ्रीडिश की उपलब्धता के मद्देनजर देश में प्रसार भारती की एक फ्री-टू-एयर, डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा (51 शैक्षिक चैनलों सहित 150 से अधिक टीवी चैनलों को विना किसी के ले जाना), केवल एक चैनल वाले एनालॉग टेरिस्ट्रियल टीवी (एटीटी) ट्रांसमीटरों ने अपनी प्रासंगिता खो दी है।'

उन्होंने यह भी बताया कि 'अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर छोटे आकार की कम लागत वाली डिश रिसेवर इकाइयों की मदद से देश में डीडी फ्री डिश के सिग्नल प्राप्त किये जा सकते हैं। बाजार के अनुमानों के मुताबिक सेट टॉप बॉक्स वाले 40 मिलियन



ANURAG THAKUR





million households with set-top boxes capable of receiving DD Free Dish DTH channels," he added.

## CRACKDOWN ON PC CODE VIOLATIONS

Govt has cracked down on program code violation and taken action in 142 cases of Programme Code violation since 2018.

All programmes telecast on private TV channels are required to adhere to the Programme Code laid down in Cable Television Networks Act, 1995 and the Rules framed there under.

"Under the Programme Code, content which is defamatory, deliberate, false and suggestive innuendoes and half-truths or which criticizes, maligns or slanders any individual in person or certain groups, segments of social, public and moral life of the country, etc. cannot be telecast," said I&B Minister Anurag Thakur

## PRASAR BHARATI NEW AUCTION BID

Prashar Bharati invited applications for allotment of vacant MPEG-2 slots of DD Free Dish for the period from 01.01.2022 to 31.03.2022 through the 56th online e-auction process.

The Pro-rata starting reserve price for News & Current Affairs (Hindi) Channels, News & Current Affairs (English), and News & Current Affairs (Punjabi) Channels are Rs 5,51,25,000.

The reserve price for GEC and movie channels is Rs 4,12,69,000 and Rs 3,33,75,000 respectively.

In the case of All Music (Hindi) Channels, Sports (Hindi) Channels, GEC (Bhojpuri), Movies (Bhojpuri), and Teleshopping (Hindi) channels, the reserve price is Rs 2,93,61,000.

For All other remaining Genre (Language) Channels and Teleshopping (Regional) channels, the reserve price is Rs 1,94,18,000.

The public notice states that only satellite channels licensed by the I&B ministry for downlinking in India would be allotted slots on DD Free Dish. Only license holder company or their authorized distributor partners can apply for allocation of DD Free Dish slot.



से अधिक घर सक्षम हैं। डीडी फ्री डिश डीटीएच चैनल प्राप्त कर रहा है।'

## पीसी कोड उल्लंघन पर कार्रवाई

सरकार ने प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के मामले पर कार्यवाई की है और इसने 2018 से प्रोग्राम कोड उल्लंघन के 142 मामलों पर कार्रवाई की है।

निजी टीवी चैनलों के लिए प्रसारित सभी कार्यक्रमों के लिए केवल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता और उसके तहत बनाये गये नियमों का पालन करना आवश्यक है।

आईएंडवी मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 'प्रोग्राम कोड के तहत, ऐसी सामग्री जो मानहानिकारक, जानबूझकर झूठी और विचारोत्तेजक मासूमियत और अर्धसत्य है या किसी व्यक्ति या कुछ समूहों के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के क्षेत्रों आदि की आलोचना, बदनाम या निंदा करती है, प्रसारित नहीं किया जा सकता है।'

## प्रसारक भारती की नयी नीलामी बोली

प्रसार भारती ने 56वीं ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 01.01.2022 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए डीडी फ्रीडिश के खाली एमपीईजी-2 स्लॉट के आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं।

समाचार व करेंट अफेयर्स (हिंदी) चैनल, समाचार व करेंट अफेयर्स (अंग्रेजी) चैनल और समाचार व करेंट अफेयर्स (पंजाबी) चैनलों के लिए प्रो-राटा शुरुआती आरक्षित मूल्य 5,51, 25,000 रुपये है।

जीईसी और मूवी चैनलों के लिए आरक्षित मूल्य क्रमशः 4,12,69,000 रुपये और 3,33,75,000 रुपये है।

म्यूजिक (हिंदी) चैनल, स्पोर्ट्स (हिंदी) चैनल, जीईसी (भोजपुरी), मूवीज (भोजपुरी) और टेलीशॉपिंग (हिंदी) चैनलों सहित समस्त मामले में आरक्षित मूल्य 2,93,61,000 रुपये है।

अन्य सभी शैली (भाषा) चैनल और टेलीशॉपिंग (क्षेत्रीय) चैनलों के लिए आरक्षित मूल्य 1,94,18,000 रुपये है।

सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि भारत में डाउनलिंकिंग के लिए आईएंडवी मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त केवल सैटेलाइट चैनलों को ही डीडी फ्री डिश पर स्लॉट आवंटित किये जायेंगे। केवल लाइसेंस धारक कंपनी या उनके अधिकृत वितरक भागीदार डीडी फ्री डिश स्लॉट के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।



## TDSAT REINS IN TRAI

The Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) is reining in the TRAI - Telecom Regulatory Authority of India with a directive not to take coercive steps against broadcasters for not furnishing information related to the mode of retransmission of linear channels on over the top (OTT) platforms.

Sony Pictures Networks India (SPNI) and Sun TV Network have challenged the TRAI's letter asking broadcasters to provide a detailed architecture indicating which media is being used to deliver linear content to their own as well as third-party streaming platforms. The broadcasters have refused to share this information contending that the TRAI doesn't have any jurisdiction on OTT.

While admitting both the matters, the TDSAT has granted three weeks' time to the TRAI to file its reply on the jurisdictional issue raised by Sony and Sun. The matter has been listed on 24th January 2022 when the TDSAT will consider Sony and Sun's prayers for interim relief. In the meantime, the broadcasters will not have to provide any information to the TRAI.

Sun and Sony have argued that OTT is outside the scope of regulations regardless of the fact whether they are broadcasters or not. The two broadcasters also contended that they wear multiple hats and one such hat is providing their content to OTT platforms under Section 37 of the Copyright Act which gives broadcasting reproduction rights to broadcasters.

Sony and Sun also argued that they don't use satellites or any other existing infrastructures which are regulated by TRAI. Therefore, the petitioners argued that the TRAI cannot ask for this information from the broadcasters.

## DILEEP TIWARI RESIGNS FROM ZEE

Dileep Tiwari has put in his resignation from Zee as Chief Executive Officer, Cluster 3.

Tiwari's started a role as an intern in Asia Pacific Communication Associates in the year 1997. Soon after

## ट्राई में टीडीसेट की बागडोर

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलिय न्यायाधिकरण (टीडीसेट) ट्राई-टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर लगाम लगा रहा है कि ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर लीनियर चैनलों के रि-ट्रान्समिशन के तरीके से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के लिए प्रसारकों के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाये जाने जाएं।

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (एसपीएनआई) और सन टीवी नेटवर्क ने ट्राई के पत्र को चुनौती दी है जिसमें बॉडकास्टर्स को एक विस्तृत संरचना प्रदान करने के लिए कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि किसी मीडिया का उपयोग लीनियर सामग्री को अपने साथ-साथ तीसरे पक्ष के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर वितरित करने के लिए किया जा रहा है।

प्रसारकों ने यह कहते हुए इस जानकारी को साझा करने से इंकार कर दिया है कि ट्राई को ओटीटी पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

दोनों मामलों को स्वीकार करते हुए टीडीसेट ने ट्राई को सोनी और सन द्वारा उठाये गये क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले को 24 जनवरी 2022 को सूचीबद्ध किया गया है जब टीडीसेट अंतरिम राहत के लिए सोनी व सन की प्रार्थनाओं पर विचार करेगा। इस बीच प्रसारकों को ट्राई को कोई जानकारी नहीं देनी होगी।

सन और सोनी ने तर्क दिया कि ओटीटी नियमों के दायरे के बाहर है, भले ही वे प्रसारक हैं या नहीं। दोनों प्रसारकों ने यह भी तर्क दिया कि वे कई टोपी पहनते हैं और ऐसी ही एक टोपी कॉपीराइट अधिनियम की धारा 37 के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्मों को अपनी सामग्री प्रदान कर रही है, जो प्रसारकों को प्रसारण प्रजनन का अधिकार देता है।

सोनी और सन ने यह भी तर्क दिया कि वे सैटेलाइटों या किसी अन्य मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं करते हैं जो ट्राई द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्राई, प्रसारकों से यह जानकारी नहीं मांग सकता है।

## दिलीप तिवारी ने जी से इस्तीफा दिया

दिलीप तिवारी ने जी के क्लस्टर 3 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है।

श्री तिवारी ने वर्ष 1997 में एशिया पैसिफिक कम्युनिकेशन



TELECOM DISPUTES SETTLEMENT & APPELLATE TRIBUNAL  
TDSAT



that, he joined ZEE News as a reporter and was subsequently promoted as a Bureau Chief and Political editor. Since then, he has become an expert in parliamentary coverage.

Tiwari's experience spans over two decades.

## DISCOVERY ACQUIRES ZEDO

Discovery has completed the acquisition of ZEDO. ZEDO is an advertising technology company based in both the United States and India. The acquisition will bring ZEDO's technology in-house and enable faster innovation across Discovery's ad solutions.

This acquisition brings key ad technology platform capabilities, including a Supply-Side Platform (SSP) & Real Time Bidding (RTB) capability, which enhances Discovery's global direct-to-consumer (DTC) platforms, improves the consumer experience and drives monetization. As part of the acquisition, Discovery will also onboard employees of ZEDO based in India and the United States.

"This deal will bring the Discovery and ZEDO teams together to enhance the overall consumer ad experience, as well as help push new innovation by integrating ZEDO's capabilities with our global direct-to-consumer platform," said Sudheer Sirivara, EVP, DTC - Global Technology, Discovery Inc. "We are excited to welcome the ZEDO team to the rapidly growing technology presence in our India Development Center, which is a strategic priority for us to build talent and expertise across the country to help scale globally."

## TRAI – IP LAW NO CONNECT

The Govt is clear about the role of TRAI and the IP laws and government doesn't have any proposal to harmonise the regulatory powers of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) with the existing intellectual property laws including the Copyright Act. The Telecom Regulatory Authority of India Act and Intellectual Property laws including the Copyright Act define provisions and



एसोसिएट्स में एक प्रशिक्षु के रूप में भूमिका शुरू की थी। इसके तुरंत बाद वे एक रिपोर्टर के रूप में जी न्यूज में शामिल हो गये और बाद ब्यूरो चीफ और राजनीतिक संपादक के रूप में उन्हें तरक्की प्रदान की गयी। तब से वे संसदीय कवरेज के विशेषज्ञ बन गये हैं।

श्री तिवारी के पास दो दशकों से अधिक का अनुभव है।

## डिस्कवरी ने हासिल किया जेडो

डिस्कवरी ने जेडो का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। जेडो संयुक्त राज्य और भारत दोनों में स्थित एक विज्ञापन प्रौद्योगिकी कंपनी है। अधिग्रहण से जेडो की तकनीकी धर आयेगी और डिस्कवरी के विज्ञापन समाधानों में तेजी से नवाचार को सक्षम करेगा।

यह अधिग्रहण आपूर्ति पक्ष प्लेटफॉर्म (एसएसपी) और रीयल टाइम बिडिंग (आरटीवी) क्षमता सहित प्रमुख विज्ञापन प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म क्षमताओं को लाता है, जो डिस्कवरी के वैश्विक डॉयरेक्ट टू कंज्यूमर (डीटीसी) प्लेटफॉर्म को बढ़ाता है, उपभोक्ता अनुभव में सुधार करता है और मुद्रीकरण को बढ़ाता है। अधिग्रहण के हिस्से के रूप में डिस्कवरी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित जेडो के कर्मचारियों को भी शामिल करेगा।

डिस्कवरी इंक के डीटीसी-ग्लोबल टेक्नोलॉजी के ईवीपी सुधीर सिरिवारा ने बताया कि हम अपने भारत विकास केंद्र में तेजी से बढ़ती तकनीकी उपस्थिति के लिए जेडो टीम का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं, जो वैश्विक स्तर पर मदद करने के लिए देश भर में प्रतिभा और विशेषज्ञता का निर्माण करना हमारे लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता है।'

## ट्राई-आईपी कानून आपस में जुड़े नहीं हैं

सरकार ट्राई और आईपी कानूनों की भूमिका के बारे में स्पष्ट है और सरकार के पास कॉपीराइट अधिनियम सहित मौजूदा बौद्धिक संपदा कानूनों के साथ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नियामक शक्तियों के सामंजस्य का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम और बौद्धिक संपदा कानून कॉपीराइट अधिनियम सहित संबंधित सक्षम अधिकारियों के प्रावधानों



powers of the respective competent authorities in the relevant statutes prescribed for the purpose specified to them."

Thakur also said that the government has not yet formed a view on revising Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995. He also said that the ministry has duly noted the suggestions it has received from stakeholders

### TANVI SHUKLA QUILTS MIRROR NOW

Tanvi Shukla has quit Mirror Now as Sr. Editor, Broadcast and Digital, Mirror Now.

Shukla has over 15 years of experience across broadcast, digital and print media. Prior to joining Mirror Now, Shukla was working as Deputy News Editor at Times Now. She has also served stints at CNBC TV 18, Bloomberg TV India and DNA in the past.



TANVI SHUKLA



### VIACOM18 PARTNERS NBA

Viacom18 has partnered with NBA - National Basketball Association for a three-year media rights deal with National Basketball Association (NBA) for US\$ 1.5mn. Viacom18 will deliver live NBA games and programming to fans in India across television and over-the-top streaming.

The acquisition of NBA rights will add to Viacom18's growing portfolio which includes FIFA World Cup, Laila, Serie A, Ligue1, and Abu Dhabi T10 League.

The three-year deal is worth 1.5 million which is lesser than the \$20-21 million that NBA had received from the previous five-year deal with Sony Pictures Networks India (SPNI). Following the non-renewal of the deal with SPNI, NBA had signed Star Sports as the official broadcast partner for the 2021 NBA Play-offs and The Finals. ■



और शक्तियों को उनके लिए निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रासंगिक कानूनों में परिभाषित करते हैं।'

श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार ने केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने पर अभी तक कोई विचार नहीं बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय ने हितधारकों से प्राप्त सुझावों को विधिवत नोट किया है।

### मिरर नाउ को छोड़ा तन्वी शुक्ला ने

तन्वी शुक्ला ने मिरर नाउ के सीनियर एडिटर, ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल, मिरर नाउ का पद छोड़ दिया है।

श्री शुक्ला को प्रसारण, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 15 साल से अधिक का अनुभव है। मिरर नाउ में शामिल होने से शुक्ला टाइम्स नाउ में उप समाचार संपादक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अतीत में सीएनबीसी टीवी 18, ब्लूमवर्ग

टीवी इंडिया और डीएनए में भी काम किया है।

### एनबीए का साझेदार बना वायकॉम 18

वायकॉम 18 ने 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) के साथ तीन साल के मीडिया अधिकारों के सौदे के लिए एनबीए-नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के साथ साझेदारी की है। वायकॉम 18 भारत में प्रशंसकों को टेलीविजन और ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग पर लाइव एनबीए गेम्स और प्रोग्रामिंग मुहैया करायेगा।

एनबीए अधिकारों के अधिग्रहण से वायकॉम 18 के बढ़ते पोर्टफोलियो में इजाफा होगा

जिसमें फीफा विश्व कप, लैला, सीरी ए, लिग 1 और आवृधावी टी 10 लीग शामिल है।

तीन साल का सौदा 1.5 मिलियन डॉलर का है, जो कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (एसपीएनआई) के साथ पिछले पांच साल के सौदे से एनबीए को मिले 20-21 मिलियन डॉलर से भी कम है। एसपीएनआई के साथ सौदे का नवीनीकरण न होने के बाद, एनबीए ने 2021 में एनबीए प्ले ऑफ और द फाइनल के लिए आधिकारिक प्रसारण भागीदार के रूप में स्टार स्पोर्ट्स को साइन किया था। ■



Telecom Regulatory Authority of India  
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)